# न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 22/2018 जिला दौसा

1. नाथू लाल पुत्र जौहरी लाल (मृतक)
   1/1 श्रीमती आशा देवी पुत्री स्व. श्री नाथू लाल धर्मपत्नी श्री विश्वम्भर दयाल, जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी ग्र्राम सूरेर, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
   1/2 श्रीमती माया देवी पुत्री स्व. श्री नाथू लाल, धर्मपत्नी श्री औम प्रकाश जाति जांगिड ब्राह्मण, निवासी 12 सैक्टर, 2 एन.ई.बी. वार्ड संख्या 34 , तहसील अलवर, जिला अलवर ।
2. चेतन प्रकाश पुत्र स्व. श्री नाथू लाल जाति जांगिड ब्राह्मण , निवासी ग्र्राम पीलीकोठी, रामगढ, तहसील महवा, जिला दौसा ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल , जाति मीणा, निवासी ग्र्राम रामगढ, तहसील महवा, जिला दौसा ।
2. श्रीमती रामपति धर्मपत्नी श्री रामेश्वर, जाति बैरवा, निवासी ग्र्राम समलेटी, तहसील महवा, जिला दौसा ।
3. गंगासहाय पुत्र श्री रामसहाय, जाति बैरवा, निवासी ग्र्राम शहदपुर, तहसील महवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महवा, तहसील महवा, जिला दौसा ।
5. रमन लाल पुत्र लक्ष्मण जांगिड ब्राह्मण
6. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण जांगिड ब्राह्मण
7. मुकेश पुत्र धनीराम बैरवा
8. राकेश पुत्र धनीराम बैरवा
9. सन्तो पुत्री धनीराम बैरवा
10. राजन्ती पुत्री धनीराम बैरवा
11. देवकी पुत्री धनीराम बैरवा
12. विजय कुमार पुत्र चिमन लाल बैरवा
13. रमेशचन्द पुत्र गिर्राज प्रसाद वर्मा
14. मु. नारायणी पत्नी धनीराम बैरवा
15. हीरा लाल पुत्र खैराती लाल बैरवा
16. रमेश पुत्र छोटू बैरवा
17. मु. सीमा पत्नी छोटू बैरवा
18. उगन्ती पुत्री छोटू बैरवा
19. कमलेश पुत्री छोटू बैरवा
20. लाली पुत्री छोटे बैरवा
21. लीला पुत्री छोटू बैरवा
22. लक्ष्मीनारायण पुत्र किशोरी लाल बैरवा
23. चिम्मन पुत्र खैराती लाल बैरवा
24. मु. किशनी पत्नी हीरा लाल बैरवा
25. शेर सिंह पुत्र भंवर लाल राजपूत
26. चन्दू लाल पुत्र छाजू लाल धोबी
27. विनोद कुमार पुत्र देवीराम ब्राह्मण

प्रतिलिपि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

28. मुरारी लाल पुत्र रामजी लाल कुम्हार
29. संतोष कुमार पुत्र गुलाबचन्द सोनी
30. सुरेन्द्र कुमार पुत्र विश्वनाथ सिंह राजपूत
समस्त निवासी रामगढ, तहसील महवा,जिला दौसा

प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनां 21.3.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमन्त सौगानी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सतीश पारीक

निर्णय

दिनांक 11.2.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 21.3.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट अमर सिंह वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दैसा के समक्ष दिनांक 18.2.2011 को प्रस्तुत किया गया कि ग्रम रामगढ तहसील महवा की भूमि खसरा नम्बर 63 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा उनकी खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिसके नवीन खसरा नम्बर 229/1142, 230/1313 , 230/1314 व 230/1315 बनाये गये, किन्तु बन्दोबस्त कर्मचारियों ने साज करके या सहवन से गत नक्शा ट्रेस के अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस को नही बनाया है तथा भिन्नता की गई है जिससे उनकी भूमि का रकबा कम हो गया है । अतः नवीन नक्शा ट्रेस को पूर्व के नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त कराया जावे , जिस पर उप खण्ड अधिकारी महवा ने आदेश दिनांक 21.2.2011 पारित किया कि ग्रम रामगढ तहसील महवा की भूमि नवीन खसरा नम्बर 230 व 229 / 1142 के ट्रेस को गत खसरा नम्बर 63 के अनुसार दुरूस्त किया जावे । उप खण्ड अधिकारी के इस आदेश के खिलाफ अपीलान्ट नाथू लाल वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो निर्णय दिनांक 23.2.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी महवा का निर्णय दिनांक 21.2.2011 निरस्त करते हुये प्रकरण उप खण्ड अधिकारी महवा को पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी महवा ने अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 23.2.2012 की अनुपालना में पक्षकारान को सुन कर निर्णय दिनांक 21.3.2018 पारित किया कि ग्रम रामगढ तहसील महवा की भूमि खसरा नम्बर 230

रकबा 0.66 व खसरा नम्बर 229/ 1142 रकबा 0.04 कुल किता 2 रकबा 0.70 हैक्टेयर सायलान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होने , नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 230, 229/1142 को गत खसरा नम्बर 63 से बनाया गया है । इस संबंध में पूर्व निर्णय दिनांक 21.2.2011 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है तथा पडौसी खातेदारों को भी पक्षकार बनाया जा चुका है, किन्तु पक्षकारों द्वारा कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे पूर्व निर्णय प्रभावित होता हो । इसलिये पूर्व निर्णय में कोई संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से सायलान के प्रार्थना पत्र पर पारित पूर्व निर्णय दिनांक 21.2.2011 को यथावत रखा गया तथा न्याय हित में पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करने के लिये तहसीलदार महवा को आदेश दिया गया कि पक्षकारान द्वारा यदि पैमाईश हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पैमाईश हेतु एक टीम गठित की जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि में पैमाईश विधि अनुसार करवाई जावे ।

उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 21.3.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट नाथू लाल वगैहरा द्वारा यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी महवा दिनांक 21.3.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 229/1142, 230/1313 , 230/1314 व 230/1315 के संबंध में के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को कोई अधिकार नहीं था । आवेदन में न तो वास्तविक तथ्य उल्लेखित किये और ना ही तथ्यों को स्पष्ट किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों की जॉच किये बिना ही सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है । रेस्पोंडेन्ट ने आवेदन में यह भी अंकित नहीं किया कि राजस्व नक्शा ट्रेस में किस प्रकार से तथा क्या गलत इन्द्राजात किये गये और वे नक्शा ट्रेस में किस प्रकार की दुरूस्ती चाहते हैं । आवेदन में केवल यह अंकित किया गया कि नक्शा ट्रेस में उक्त भूमि कम दर्शाई गई है जिसको दुरूस्ती की जावे । यह भी अंकित नहीं किया कि नक्शा ट्रेस में पडौस के किस खसरा नम्बर की भूमि को वे अपनी खातेदारी में अंकित कराना चाहते हैं । उहना था कि विवादित भूमि के पडौसी भूमि के खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था । अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर ने निर्णय दिनांक 23.2.2012 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर तथा उन्हें नोटिस व सुनवाई का मौका देकर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश दिये

थे , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित व्यक्तियों को बिना सुने व बिना जॉच किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित भूमि के नक्शा ट्रेस में रकबा कहीं भी किसी भी प्रकार से बढा हुआ नहीं है , फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि के रकबे को कम किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है , जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है । पूर्व खसरा नम्बर की भूमि के अनुरूप ही नक्शा बना है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई रकबा बढा हुआ नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतः अवैध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 66 ऐयर व 229/1142 रकबा 4 ऐयर रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी में दर्ज है । उक्त खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 63 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से बने हैं । उक्त खसरा नम्बर का नवीन नक्शा बनाते समय पूर्व नक्शा ट्रेस के अनुसार रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी की आराजी को नहीं दर्शाया जाकर नक्शे को छोटा कर दिया गया है जिससे रेस्पोंडेन्ट्स की भूमि का रकबा कम हो गया है जबकि राजस्व अभिलेख में रकबा पूर्ण दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 21.2.2011 में पूर्ण विवेचन किये जाने तथा पडौसी खातेदारों को भी पक्षकार बनाये जाने एवं पक्षकारों द्वारा कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से पूर्व में पारित निर्णय में कोई संशोधन किया जाना उचित नहीं मानते हुये निर्णय दिनांक 21.2.2011 को यथावत रखते हुये न्यायहित में पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करने के लिये तहसीलदार महवा को पक्षकारान द्वारा यदि पैमाईश हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो पैमाईश हेतु एक टीम गठित की जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि में पैमाईश विधि अनुसार किये जाने के आदेश दिये हैं । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी महवा दिनांक 21.3.2018 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारान के मध्य रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 63 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 230 रकबा 0.66 व 229/1142 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस पुराने नक्शा ट्रेस के अनुसार खातेदारी आराजी को नही दर्शा कर नवीन नक्शा ट्रेस को छोटा कर दिये जाने से रकबा कम होने के संबंध में विवाद है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा ,जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 21.3.2018 पारित किया कि ग्रम रामगढ तहसील महवा की भूमि खसरा नम्बर 230 रकबा 0.66 व खसरा नम्बर 229/ 1142 रकबा 0.04 कुल किता 2 रकबा 0.70 हैक्टेयर सायलान की खातेदारी में दर्ज

रिकार्ड होने , नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 230, 229/1142 को गत खसरा नम्बर 63 से बनाया गया है । इस संबंध में पूर्व निर्णय दिनांक 21.2.2011 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है तथा पडौसी खातेदारों को भी पक्षकार बनाया जा चुका है किन्तु पक्षकारों द्वारा कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे पूर्व निर्णय प्रभावित होता हो । इसलिये पूर्व निर्णय में कोई संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से सायलान के प्रार्थना पत्र पर पारित पूर्व निर्णय दिनांक 21.2.2011 को यथावत रखा गया तथा न्याय हित में पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करने के लिये तहसीलदार महवा को आदेश दिया गया कि पक्षकारान द्वारा यदि पैमाईश हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पैमाईश हेतु एक टीम गठित की जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि में पैमाईश विधि अनुसार करवाई जावे ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.3.2018 पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर, प्रकरण के तथ्यों पर विश्लेषण के पश्चात् तथा पक्षकारों द्वारा कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 21.2.2011 में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उसे यथावत रखा है तथा न्याय हित में पक्षकारों के मध्य विवाद को समाप्त करने की दृष्टि से पक्षकारान द्वारा यदि पैमाईश हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो पैमाईश हेतु एक टीम गठित की जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि में पैमाईश विधि अनुसार करवाने हेतु तहसीलदार महवा को आदेश दिया गया है । पक्षकारान द्वारा ऐसी कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 21.3.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपु